न्यायालय: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–2, गाजियाबाद।

पीठासीन अधिकारीः गौरव शर्मा (उच्चतर न्यायिक सेवा)
JO Code– UP 6276
दाण्डिक निगरानी सं०– 586/2023
पंजीयन सं०– 586/2023
CNR No.– UPGZ010158002023

लवली पुत्री नाथू सिंह, निवासी– D–252, सै०–105, नोएडा, जिला– गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश।
..... प्रार्थिनी/निगरानीकर्ता

बनाम

1– अंकित जयंत पुत्र गिरीश कुमार
2– गिरीश कुमार जयंत पुत्र बलदेव सिंह
3– सुनीता पत्नी गिरीश कुमार जयंत
4– अभिषेक पुत्र अज्ञात (श्रीमती सुनीता का भतीजा)
निवासी– RZA–29,राज नगर, पार्ट–2, गली नं०–10,पालम कालोनी, पुलिस थाना–पालम विहार, नई दिल्ली–110045.
5– उ० प्र० सरकार द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), गाजियाबाद।
..... उत्तरदातागण/विपक्षीगण

निर्णय

1– निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी विविध वाद अंतर्गत धारा–156(3) दं०प्र०सं० प्रार्थना पत्र सं०–445/2023 लवली बनाम अंकित जयन्त आदि, न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या–2, गाजियाबाद द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 12–07–2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी ।

2– निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी इन आधारों पर प्रस्तुत की गयी है कि आलोच्य आदेश अत्यंत अवैध, मनमाना व अनुमान पर आधारित तथा साक्ष्यों के गलत मूल्यांकन पर आधारित है। स्वयं आदेश में यह स्वीकार किया गया है कि थाना–विजयनगर में किसी प्रकार की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज है या नहीं, यह जानने के उद्देश्य से पुलिस रिपोर्ट मंगाई गई थी किंतु संबंधित पुलिस अधिकारी ने अपने वैधानिक अधिकार क्षेत्र से परे जाकर, बिना किसी विधिक आदेश के मामले की जांच करते हुए तथा प्रतिवादी पक्ष से स्पष्ट मिलीभगत करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत की। अवर न्यायालय ने केवल उक्त पुलिस रिपोर्ट के आधार पर आदेश पारित कर दिया, जो कि पूर्णतः अवैध तथा अधिकार क्षेत्र के विरूद्ध है। निगरानीकर्ता की लोकेशन को आवेदन खारिज करने का आधार नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि निगरानीकर्ता का मोबाइल उसके पिता की कार में रह गया था तथा विपक्षी पक्ष ने दुर्भावना एवं पूर्व नियोजित योजना के तहत अपने मोबाइल किसी अन्य स्थान पर छोड़ दिये थे। प्रतिवादी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा–420 का अपराध स्पष्ट रूप से बनता है, क्योंकि प्रतिवादी सं०–1 पहले ही तीन बार विवाह कर चुका है तथा पूर्व विवाह के ठोस प्रमाण आवेदन के साथ संलग्न किये गये थे, जिन्हें अवर न्यायालय द्वारा पूर्णतः अनदेखा कर दिया गया। भारतीय दण्ड संहिता की धारा–376 का अपराध अंकित जयन्त के द्वारा किया गया, जिसमें अभिषेक भी उपस्थित था तथा उसने निगरानीकर्ता को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया, जिससे उसका कृत्य धारा–376 भा०दं०सं० सहपठित धारा–120B भा०दं०सं० के अंतर्गत दण्डनीय है। आलोच्य आदेश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस निर्णय (citation) का उल्लेख किया गया है, वह इस मामले के तथ्यों के विपरीत है तथा प्रतिवादी पक्ष के पक्ष में नहीं बल्कि निगरानीकर्ता के पक्ष में है। उक्त निर्णय की अंतिम पंक्ति में यह कहा गया है कि उपयुक्त परिस्थितियों में मजिस्ट्रेट को सत्यता की जांच करने तथा आरोपों की प्रामाणिकता की पुष्टि करने की सलाह दी जाती है, किंतु अवर न्यायालय द्वारा ऐसा कोई परीक्षण नहीं किया गया। जिस समय उक्त घटना घटित हुई उस समय पक्षकारों के मध्य विवाह संबंध विच्छेदित नहीं हुआ था। पुलिस अधिकारी द्वारा दी गई रिपोर्ट तथ्यात्मक रूप से गलत है, जिसे अवर न्यायालय ने शब्दशः स्वीकार कर लिया। अवर न्यायालय ने उपलब्ध स्वीकार्य एवं विश्वसनीय साक्ष्यों की अनदेखी करते हुए धारा–156(3) दं०प्र०सं० के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन को अस्वीकार कर दिया। अतः उपरोक्त कारणों के आधार पर अवर न्यायालय के प्रश्नगत आदेश दिनांकित 12.07.2023 को निरस्त करते हुए निगरानीकर्ता की

निगरानी स्वीकार किये जाकर संबंधित न्यायालय को आदेशित कर विधिनुसार आदेश पारित करने की प्रार्थना की गई।

3– उक्त निगरानी के समर्थन में निगरानीकर्ता द्वारा अपना शपथ पत्र(कागज सं०–4 ख) व प्रमाणित प्रतिलिपि आदेश दिनांकित 12.07.2023(कागज सं०–6 ख/2) एवं अन्य प्रपत्र प्रस्तुत किये है।

4– विपक्षी संख्या– 3 श्रीमती सुनीता पत्नी गिरीश कुमार जयन्त द्वारा कागज संख्या 22 ख/1 लगायत 22 ख/5 प्रस्तुत कर उक्त फौजदारी निगरानी के संबंध में लिखित आपत्ति प्रस्तुत की गई तथा उक्त निगरानी को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई।

विपक्षी सं०–2,3 व 4 द्वारा लिखित तर्क (कागज सं०–33 ख/1 लगायत 33 ख/5) दाखिल कर उक्त निगरानी को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई, जिसमें विपक्षीगण द्वारा माननीय सर्वोच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विभिन्न विधि–व्यवस्थाओं का उल्लेख किया गया ।

5– मैंने निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) को सुना एवं पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

6– निगरानी के अन्तर्गत प्रश्नगत आदेश की शुद्धता, वैधता या औचित्य और कार्यवाहियों की नियमितता के विषय में देखा जाना होता है।

7– अवर न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 12.07.2023 के परिशीलन से यह विदित है कि विद्वान अवर न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या–2, गाजियाबाद द्वारा आवेदक लवली का परिवाद/प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–156(3) दं०प्र०सं० निरस्त कर दिया था।

8– पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा प्रार्थिनी लवली द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–156(3) दं०प्र०सं० अपने आलोच्य आदेश दिनांकित 12.07.2023 द्वारा निरस्त कर दिया गया था। रिविजनकर्ता द्वारा अपनी निगरानी में मुख्य आधार यह लिया गया है कि आलोच्य आदेश अवैध, मनमाना व साक्ष्यों के गलत मूल्यांकन पर आधारित था। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थी पक्ष का मुख्य कथानक यह है कि प्रार्थिनी लवली को अंकित खरीदारी करने के बहाने गाडी से बाहर ले गया तथा कोल्डड्रिंक पीने के लिए दी, जिसे पीकर प्रार्थिनी को नशा हो गया, जिसके उपरांत हिन्डन नदी के पास सिद्धार्थ विहार स्थित सुनसान जगह ले जाकर अंकित ने जबरदस्ती उसका बलात्कार किया तथा अभिषेक गाड़ी से बाहर खड़ा रहा तथा विपक्षी पहले से ही दो बार शादी कर चुका है और इस तथ्य को छिपाकर कि वह शादीशुदा है, वह तीसरी शादी कर रहा था।

इस संबंध में तलबशुदा पत्रावली व संबंधित थाने की पुलिस आख्या से परिशीलन से न्यायालय यह पाता है कि पुलिस विवेचक द्वारा विवेचना करने पर विपक्षीगण एवं स्वयं प्रार्थिनी/पीडिता लवली की मोबाइल लोकेशन कथित क्षेत्र में नहीं पाई गई, कथित अभियुक्त अभिषेक के मोबाइल फोन की लोकेशन पालम, दिल्ली के पास की पाई गयी और प्रार्थिनी/पीडिता की फोन लोकेशन नोएडा की पाई गई। संबंधित पुलिस द्वारा आख्या में यह भी कथन किया गया है कि जांच में यह पाया गया कि शादी टूटने से आहत होकर आवेदिका ने प्रार्थना पत्र बढ़ा–चढ़ाकर प्रस्तुत किया है। आख्या में एक अन्य तथ्य यह भी अंकित किया गया है कि हिंडन नदी के पास सिद्धार्थ विहार के पास दिनांक 08.05.2023 की घटना प्रारंभिक जांच में मनगढ़त पाई गई। समस्त रोका, रिंग सेरेमनी आदि कार्यवाही दिल्ली या नोएडा में हुई है। इस प्रकार पुलिस द्वारा जिला गाजियाबाद के क्षेत्राधिकार में उक्त अपराध के घटनाक्रम के होने से इंकार किया गया है। आख्या में यह भी उल्लेखित है कि दिनांक 07.05.2023 को वधु पक्ष को पता चल गया था कि अभियुक्त पक्ष पूर्व से शादीशुदा है और उक्त खबर के बाद आवेदिका के माता–पिता, बहने व जीजा जी गिरीश कुमार जयंत के घर दिल्ली में उनसे बात करने गये थे, वहां पर आपसी समझौते के आधार पर शादी कैंसिल करने की बात हुई थी। वधुपक्ष के अनुसार उसके बाद दिनांक 08.05.2023 को अंकित जयंत अपने ममेरे भाई अभिषेक के साथ उनके नोएडा स्थित घर पर आकर आवेदिका को शापिंग कराने के बहाने साथ ले गया। यहां पर पुलिस द्वारा इस ओर ध्यान आकर्षित कराया गया है "**जब एक दिन पहले वधु पक्ष को लड़के अंकित जयंत की पूर्व शादी के बारे में पता चल चुका है तो उसके बाद लड़के के घर पर बैठकर लड़की वाले रिश्ता कैंसिल करने की बात करके आ चुके हैं। इसके बाद आवेदिका का लड़के के कहने पर उसके साथ शापिंग के बहाने उसकी गाड़ी में जाना संदेह पैदा करता है।**" इस प्रकार पुलिस आख्या में तमाम तथ्यों को पुलिस द्वारा उल्लेखित किया गया है, स्वयं निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी में पुलिस आख्या के अनुरूप यह स्वीकार किया गया है कि निगरानीकर्ता/पीडिता का मोबाइल अपने पिता की कार में रह गया

था और विपक्षीगण द्वारा जानबूझकर दुर्भावना व सुनियोजित रूप से अपने मोबाइल कहीं अन्य स्थान पर छोड़ दिये गये थे। **इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से निगरानीकर्ता द्वारा पुलिस आख्या के इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि अपराध के समय घटनास्थल पर न तो पीडिता/निगरानीकर्ता की लोकेशन मौजूद थी और न ही अभियुक्त पक्ष की।** विपक्षीगण द्वारा पीडिता पक्ष को शादी टूट जाने के उपरांत दिनांक 11.05.2023 को 12,00,000/– रूपये नाथू के खाते में डाल देने की बात कही गई है। न्यायालय पाता है कि किसी व्यक्ति व उसके भाई के विरूद्ध कार में ले जाकर बलात्कार करने संबंधी अपराध का मुकदमा लिखाया जाना कोई छोटी घटना नहीं है वरन् घटना में वर्णित अपराध अत्यंत गंभीर प्रकृति का है, जो किसी के भी जीवन को अंधकारमय कर सकता है। अतः उक्त परिस्थितियों में पुलिस द्वारा अपनी आख्या में जो महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किये हैं और जिनमें से कुछ वैज्ञानिक तथ्यों (मोबाइल लोकेशन) को निगरानीकर्ता/पीडिता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया गया है, को आदेश पारित करते समय विद्वान अवर न्यायालय द्वारा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों के अग्रसारण में आलोच्य आदेश दिनांकित 12.07.2023 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश में सर्वोच्च न्यायालय की विधि–व्यवस्था को उल्लेखित करते हुए थाने की आख्या का अवलोकन करते हुए प्रस्तुत मामले की परिस्थितियों में विवेचन करते हुए जो आलोच्य आदेश पारित किया है वह मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में विधिनुसार पारित किया गया है। अतः विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश में कोई अवैधानिक, अनियमितता या अशुद्धता प्रतीत नहीं होती है। निगरानी बलहीन है एवं निरस्त किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांकित–16.03.2024 में हस्तक्षेप की आवश्यक्ता नही हैं। अतः निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी निरस्त की जाती है तथा विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कोर्ट सं०–2, गाजियाबाद , द्वारा पारित आदेश दिनांकित 12.07.2023 पुष्ट किया जाता है।

इस आदेश की एक प्रति के साथ मूल पत्रावली अविलम्ब विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कोर्ट सं०–2, गाजियाबाद को वापस भेजी जाए।

दिनांक 19.03.2026

(गौरव शर्मा)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं०–2,
गाजियाबाद।

आज यह निर्णय/ आदेश मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित होकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

दिनांक 19.03.2026

(गौरव शर्मा)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं०–2,
गाजियाबाद।